झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

आपराधिक पुनरीक्षण सं0–108 वर्ष 2020

अल्बर्ट मिंज .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य एवं अन्य .... विपक्षी पक्ष

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री अमिताभ के0 गुप्ता

याचिकाकर्त्ता के लिए :– सुश्री सुनीता कुमारी, अधिवक्ता।

राज्य के लिएः– श्री आर0आर0 रविदास, ए0पी0पी0।

04 / दिनांकः 02.12.2020

1. कार्यालय मुकदमों की सूची में राज्य के अधिवक्ता के रूप में भोला नाथ रजक का नाम हटायें और श्री आर0आर0 रविदास के नाम का उल्लेख करें।

2. पुनरीक्षण, यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धाराएँ 376 एबी एवं 4 और 6 के तहत पंजीकृत गुमला थाना काण्ड संख्या 254 / 2019 से उत्पन्न होने वाली आपराधिक अपील सं0 51 / 2019 में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–I, गुमला द्वारा पारित दिनांक 19.12.2019 के आदेश के खिलाफ निर्देशित है जिसके द्वारा याचिकाकर्त्ता की नियमित जमानत के लिए प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया है।

3. याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान ए0पी0पी0 सुने गए। डायरी के अवलोकन पर ऐसा प्रतीता होता है कि गवाह ने इस आरोप का समर्थन किया है कि लगभग 9 वर्ष की आयु के पीड़ित ने बताया था कि याचिकाकर्त्ता ने उसके साथ जबरन बलात्कार किया था।

अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, मैं सजा को निलंबित करने और याचिकाकर्त्ता को संप्रेक्षण गृह में निरोध से रिहा करने के लिए इच्छुक नहीं हूँ।

4. निचली अदालत विचारण में तेजी लाएगी और इस आदेश की प्राप्ति/प्रस्तुती की तारीख से छह महीने के भीतर अधिमानतः निष्कर्ष निकालेगी, जिसमें विफल होने पर याचिकाकर्त्ता जमानत के लिए अपनी प्रार्थना को नवीकृत करने के लिए स्वतंत्र है।

5. परिणाम में, पुनरीक्षण खारिज किया जाता है।

(अमिताभ के0 गुप्ता, न्याया0)